रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02042024-253514
CG-DL-E-02042024-253514

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1516] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 2, 2024/चैत्र 13, 1946
No. 1516] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 2, 2024/CHAITRA 13, 1946

वाणिज्य विभाग
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2024

<u>सं. 01/2023</u>

विषयः एचएस कोड 1006 30 90 के तहत 1000 मी.ट. काला नमक चावल का निर्यात।

का.आ. 1597(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा आइटीसी (एचएस) निर्यात नीति की अनुसूची 2 के अध्याय 10 के आइटीसी (एचएस) कोड 1006 30 90 के तहत काला नमक चावल के निर्यात के लिए निम्नलिखित नीतिगत शर्तों को शामिल करती है :

आइटीसी एचएस कोड	विवरण	निर्यात नीति	नीतिगत शर्त
1006 30 90	गैर–बासमती सफेद चावल (आधा पिसा हुआ या पूरी तरह पिसा हुआ चावल, चाहे पॉलिश किया हुआ या नहीं या चमकदारः अन्य)	निषिद्ध	इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से निम्नलिखित सीमाशुल्क स्टेशनों के माध्यम से काला नमक चावल के निर्यात की अनुमति है, जिसकी कुल मात्रा एक हज़ार मैट्रिक टन से अधिक नहीं होनी चाहिए, नामतः 1. वाराणसी, एयर कार्गो, उत्तर प्रदेश 2. जेएनसीएच महाराष्ट्र

			3. सीएच कांडला, गुजरात 4. एलसीएस नेपालगंज रोड 5. एलसीएस सोनौली 6. एलसीएस बरहनी इसके अलावा काला नमक चावल और इसकी मात्रा के प्रमाणीकरण के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता निदेशक, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार, लखनऊ होंगे।

2. इस अधिसूचना का प्रभावः

इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क स्टेशनों के माध्यम से काला नमक चावल के निर्यात निर्यात की अनुमति है जिसकी कुल मात्रा एक हजार मैट्रिक टन से अधिक नहीं होनी चाहिए। काला नमक चावल और इसकी मात्रा के प्रमाणीकरण के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता निदेशक, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार, लखनऊ होंगे।

[फा. सं. 01/91/171/010/एएम23/ईसी/ई–33294]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

DEPARTMENT OF COMMERCE

(Directorate General of Foreign Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April, 2024

No. 01 /2023

Subject: - **Export of 1,000 MT of Kala Namak rice under HS Code 1006 30 90.**

S.O. 1597(E).—The Central Government, in exercise of powers conferred by Section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, hereby incorporates the following Policy conditions for export of KalaNamak rice against ITC (HS) code 1006 30 90 of Chapter 10 of Schedule 2 of the ITC (HS) Export Policy, as under:

ITC HS Codes	Description	Export Policy	Policy Conditions
1006 30 90	Non-basmati white rice (Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed: Other)	Prohibited	Exports up to an aggregate quantity not exceeding one thousand metric tonnes of Kala Namak riceis allowed through the following customs stations, taken together, from the date on which this notification enters into force, namely: 1. Varanasi Air Cargo, Uttar Pradesh 2. JNCH, Maharashtra 3. CH Kandla, Gujarat 4. LCS Nepalgunj Road 5.LCSSonauli 6.LCSBarhni Further, authorized signatory for certification of the KalaNamak rice and its quantity will be Director, Agriculture Marketing & Foreign Trade, Lucknow.

2. Effect of this Notification:

Exports up to an aggregate quantity not exceeding one thousand metric tonnes of Kala Namak rice is allowed through the specified customs stations, taken together, from the date on which this notification enters into force. Authorized signatory for certification of KalaNamak rice and its quantity will be Director, Agriculture Marketing & Foreign Trade, Lucknow.

[F. No. 01/91/171/010/AM23/EC/e- 33294]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex-Officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.04.02 20:36:41 +05'30'